


मालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली ①

मु० न०:- 110/2020

तारीखरजु:- 6.10.2020

उनवान:- श्रीफल बनाम सिल्ली वगै०

दावा वावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
10/2020	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 10.11.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>	<p>5177-5217 6.10.2020</p>
10.11.20	<p>वादी वकील उपस्थित है। प्रतिवादी नं. 1 से 5 एवं 33 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा A.V. ने कालतमारा पेश किया। प्रतिवादी नं. 6, 7, 8, 11 से 18, 20 से 41 का बज्रद सूचना उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी नं. 9, 19 के सम्मन वापिस प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी नं. 10 का सम्मन उपस्थित से प्राप्त हुआ है। P.O. साठ अक्काश पर है। कोलेतलवी व जबाब दिनांक 16.12.20 को पेश हो।</p>	
16.12.20	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी सुनाई जायेगी 05/12/20 पत्रावली गतानुसार दिनांक 2.8.1.2.1 को पेश हो।</p>	
28.1.21	<p>बहुलाय उप। प्रतिवादी नं. 6, 7, 8, 11 से 32, 34 से 41 का बज्रद सूचना उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 9, 10, की तलबी पुनः करीब। तलबी व जबाब वास्ते दि. 8.2.21 को पेश हो।</p>	
8.2.21	<p>बहुलाय उप। तलबी सुप जबाब पेश कले की लिए समय चाहा ठीकठा दिनांक 22.2.21 को पेश हो।</p>	

फर्द अहकाम

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...~~महाराजगढ़ के मजिस्ट्रेट में पच्यो है।~~  
पञ्चावली गतानुसार दिनांक...~~3-8-23~~  
को पेश हो ।

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...~~महाराजगढ़ के मजिस्ट्रेट में पच्यो है।~~  
पञ्चावली गतानुसार दिनांक...~~3-8-23~~  
को पेश हो ।

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...~~महाराजगढ़ के मजिस्ट्रेट में पच्यो है।~~  
पञ्चावली गतानुसार दिनांक...~~3-8-23~~  
को पेश हो ।

वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित  
पीठासीन अधिकारी...~~महाराजगढ़ के मजिस्ट्रेट में पच्यो है।~~  
पञ्चावली गतानुसार दिनांक...~~3-8-23~~  
को पेश हो ।

पञ्चावली पेश हुई । वादी वकील व वादी कोई  
उपस्थित नहीं हुआ । बार-बार आवेज  
देवाई गई । इसके बावजूद भी कोई उपस्थित  
नहीं हुआ इसलिए पञ्चावली अदम पेश की व  
अदम डायरी में आवेज की जाती है ।

पञ्चावली फेशल शुमार  
डोकर नम्बर से कम डोकर डायरी डफर हो ।

(S)

(सुनीता मीना)  
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम  
जिला-गंगापुर सिटी